



पत्रांक:- 4786/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017-18
सेवा में,

दिनांक। 7 .03.2018

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
पिथौरागढ़/टिहरी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा सेतुओं के पुनर्निर्माण /तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अन्तर्गत 08 नं० कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

सन्दर्भ:- शासनादेश संख्या 1808/XVIII-(2)/17-12(4)/2013टी०सी० दिनांक 18.08.2017।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों/सेतुओं के पुनर्निर्माण एवं बन्द मार्गों को तात्कालिकता के आधार पर यातायात हेतु खोले जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को ₹ 25.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के सापेक्ष राज्य आपदा मोचन निधि के कार्यो हेतु निर्धारित मानकों के अन्तर्गत गठित निम्नलिखित 08 नं० आगणनों पर ₹ 67.46 लाख (₹ सड़सठ लाख छियालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (i) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- (ii) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों/कार्यों में किया जायेगा, जोकि एस०डी०आर०एफ० के दिशा-निर्देशों में अनुमन्य है।
- (iii) स्वीकृत कार्यो में से 5 प्रतिशत कार्यो का सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जाँच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायगी।
- (iv) इस योजना में स्वीकृत कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय, कि चयनित कार्यो हेतु अन्य विभागीय योजनाओं अथवा अन्य विभागों के बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। यदि धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि एस०डी०आर०एफ० मद में प्राप्त आवंटन से व्यय की जायेगी।
- (v) स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रवृत्ति के पुनर्निर्माण/तात्कालिक कार्यो हेतु उपयोग की जायेगी। नवनिर्माण के कार्यो में विषयक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग कदापि न किया जाय।
- (vi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मेनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेंट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु है, अतः स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक अनिवार्य रूप से करते हुए कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।

(viii) स्वीकृति प्रत्येक किमी. के लिए एस.डी.आर.एफ. हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जारी कर जा रही है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी किमी. में मानक दर से अधिक व्यय न किये जाय।

(ix) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों की लागत का वहन पूर्व में शासनादेश संख्या 1433/78बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017-18 दिनांक 23.12.2017 द्वारा संशोधित स्वीकृति के अनुसार पूर्व स्वीकृत कार्यों की लागत में हुई बचत से किया जायेगा। इस हेतु अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(x) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-101-आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.-02-आपदा राहत निधि से व्यय-00-42-अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी०	अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	पिथौरागढ़	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के विकासखण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत कलकटिया तामानौली के किमी० 01 व 02 में क्षतिग्रस्त रपटों का निर्माण कार्य।	2.00	4.05
2	पिथौरागढ़	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के विकासखण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत बुरसमबाड़ी मोटर मार्ग के किमी० 1.00 व 2.00 में दीवार व कॉजवे का पुनः निर्माण कार्य।	2.00	3.79
3	पिथौरागढ़	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के विकासखण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत ऑवलाघाट में झूलापुल का मरम्मत कार्य।	Repair of Bridge	1.15
4	पिथौरागढ़	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत मदनपुर नैनी मोटर मार्ग के किमी० 2.00 में क्षतिग्रस्त पुल के समीप डायवर्जन का कार्य।	Diversio n	11.82
5	पिथौरागढ़	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत वर्षाकाल में मार्गों को आपातकाल में यातायात हेतु खोलने के लिए आवश्यकतानुसार प्राईवेट जे.सी.बी. मशीन की आपूर्ति।	As Per Log Book	23.60
योग जनपद पिथौरागढ़				4.00	44.41

क्र० सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी०	अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
6	टिहरी	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं० 31 पौड़ी-देवप्रयाग-गजा-जाजल मोटर मार्ग के किमी० 117 एवं 118 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनःनिर्माण कार्य।	2.00	3.22
7	टिहरी	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत वर्षाकाल में लो०नि०वि० कीर्तिनगर के सहायक अभियन्ता देवप्रयाग के अधीन बन्द मोटर मार्गों को यातायात खुलवाने हेतु जे.सी.बी. मशीन/एक्सकेवेटर कम लोडर से मलवा सफाई का कार्य।	As Per Log Book	11.53
8	टिहरी	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत वर्षाकाल में लो०नि०वि० कीर्तिनगर के सहायक अभियन्ता (तृतीय) के अधीन मोटर मार्गों को यातायात खुलवाने हेतु जे.सी.बी. मशीन से मलवा सफाई का कार्य।	As Per Log Book	8.30
योग जनपद टिहरी				2.00	23.05
कुल योग				6.00	67.46

(एच० के० उप्रेती)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- II, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय/अष्टम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/टिहरी।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर/बेरीनाग/कीर्तिनगर।
9. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. आई०टी० हैड, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

1-T

UP

22.03.18 (देवेन्द्र शाह) अधिशासी अभियन्ता

प्रमुख अभियन्ता एवं विभाग